नुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम २६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 71/2012

अभिराम सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
30.04.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 2221, दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को अभिराम सिंह, ज़0वि0प्र0वि,अनु सं0–54/2007, पंचायत–जजौली , प्रखंड–मशरक, थाना–मशरक की दूकान की जांच भूमि सुधार समाहर्ता, सदर, छपरा के द्वारा की गई। जांच कम में दूकान बंद पाई गई। उक्त अनिमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 542/गो0, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि 10.01.2012 को विक्रेता पंजाब नेशनल बैक, मुरलीपुर तरैया में अत्योदय एवं बी0पी0एल का खाद्यान्न का रूपया आर0 टी0 जी0 एस0 से जमा करने गये हुए थे, जिसकी जमा पर्ची विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त विक्रेता अपने अधिकृत भाई को दूकान पर बैठाकर गये थे। अतः विक्रेता जान–बुझकर जांच की तिथि को अनुपस्थित नही थे। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की	

दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2221, दिनांक 24.07.2012) एक मुखर आदेश नही है। दूकान के बंद रहने पर यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी एक तिथि निर्धारित कर दूकान से संबंधित कागजात/ पंजी की जांच करते, दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं से बयान प्राप्त करते और यदि इसमें कोई अनियमितता नजर आती तो विक्रेता से कारण पृच्छा करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 290 /न्यायालय, दिनांक 02/05/2015

प्रतिलिपि- SDO, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

2/5/15

वरीय उप समाहर्ता,
जिला विधि शाखा, सारण।